राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी/अपील संख्या 502/2013 जयपुर

मैसर्स साँई शिक्षण संस्थान, सिविल लाईन्स ......निगरानी कार

जयपुर

बनाम

उप–पंजीयक द्वितीय, जयपुर

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

1. कोई उपस्थित नही ......निगरानी कार की ओर से
2. श्री आर. के. सिंह, राजकीय उप–अधिवक्ता .....विभाग की ओर से

निर्णय

दिनांक :15/11/2016

उक्त निगरानी प्रार्थना प्रत्र निगरानीकार द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे से अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत कलेक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 29.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 231/2010 पारित आदेश दिनांक 29.06.2011 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई हैं। निगरानीकारगण की तरफ से कोई उपस्थित नही है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पिछली कई पेशियों पर वे अनुपस्थित रहे है। तीन बार आवाजें भी दिलवाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको बहस में कोई रूचि नही है। राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। क्योंकि निगरानीकार की ओर से कोई उपस्थित नही है, अतः अनुपस्थिति के अभाव में प्रस्तुत निगरानी खारीज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

15.11.2016

सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड

अजमेर

अध्यक्ष

राजस्थान कर बोर्ड

अजमेर